न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 308/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/471

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.चन्दकंवर पुत्री जयसिंह पत्नि रिड़मलसिंह जाति राजपूत निवासी भीठड़ा हाल भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा 2.घनकंवर पुत्री जयसिंह पत्नि गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी मवड़ी हाल भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा 3.बाबूकंवर पुत्री जयसिंह पत्नि हड़मतसिंह जाति राजपूत निवासी मौलवी का तला,चौहटन हाल भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा व ज़िला बालोतरा		1.चूनी पत्नि नेनाराम 2.बालाराम पुत्र रूघाराम 3.रेखाराम पुत्र नेनाराम जाति जाट निवासी भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01 से 3
3. विप्रार्थी संख्या 04 अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 24/03/25

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनीगण की खातेदारी खसरा संख्या 701/83 क्षेत्रफल 18.9959 हैक्टयर भूमि ग्राम भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा में अवस्थित है। विवादित आराजी के मूल खसरा संख्या 83 थे। प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी द्वारा मूल खसरान मे से विप्रार्थी को बेचान करने पर नए खसरा संख्या 704/83 क्षेत्रफल 11.3878 हैक्टयर

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कायम हुए तथा रास्ता निकलने के कारण खसरा संख्या 702/83 कायम हुआ। इस प्रकार मूल खसरा संख्या 83 तरमीम शुदा था,लेकिन बटटा नम्बर खसरान की कोई तरमीम नहीं हो रखी थी। प्रार्थीगण को बिना सूचित किए विधि विरूद्व विवादित आराजी की तरमीम कर दी गई,जबकि प्रार्थीगण का नजरी नक्शा अ मुताबिक मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन रेकर्ड में विदयमान गलत तरमीम होने के कारण उसे निरस्त करवाने एवं नजरी नक्शा मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करवाने के लिए आवेदन पेश किया गया है।

2. प्रार्थीनीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री पुनमाराम चौधरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 से 3 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थीनीगण के आवेदन को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर प्रार्थीनीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 04 द्वारा जवाब पेश नहीं कर मौका रिपोर्ट पेश की गई। वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 04 अनुपस्थित रहे।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी गई। प्रार्थीनीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनीगण की खातेदारी खसरा संख्या 701/83 क्षेत्रफल 18.9959 हैक्टयर भूमि ग्राम भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा में अवस्थित है। विवादित आराजी के मूल खसरा संख्या 83 थे। प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी द्वारा मूल खसरान मे से विप्रार्थी को बेचान करने पर नए खसरा संख्या 704/83 क्षेत्रफल 11.3878 हैक्टयर कायम हुए तथा रास्ता निकलने के कारण खसरा संख्या 702/83 कायम हुआ। इस प्रकार मूल खसरा संख्या 83 तरमीम शुदा था,लेकिन बटटा नम्बर खसरान की कोई तरमीम नहीं हो रखी थी। विवादित आराजी की तरमीम न्यायालय आदेश के बिना विप्रार्थी को नाजायज फायदा पहुचाने के लिए तत्समय के राजस्व कर्मचारी द्वारा गलत तरमीम कर दी गई,जबकि विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत की गई है। विपरीत तरमीम के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। विप्रार्थी गलत तरमीम होना फायदा उठाते हुए आए दिन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दंखलदान्जी करने की कोशिश करते रहते है तथा प्रार्थीगण को धमकिया दी जाती है कि उनको मौके से बेदखल कर दिया जावेगा,यदि ऐसा करने में सफल हो गए तो प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर नजरी नक्शा मुताबिक विवादित आराजी की तरमीम दुरूस्ती की जावें।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 01 से 03 अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया है,जो कि प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य नहीं है। क्योकि मूल खसरा संख्या 83 रकबा 234.14 बीघा भूमि प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी जयसिंह पुत्र मोबतसिंह व विप्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी अगरकंवर बेवा उतमसिंह हिस्सा 1/2,1/2 की खातेदारी में अवस्थित थी तथा तत्कालीन सहखातेदार द्वारा न्यायालय श्री से बंटवाड़ा का वाद के जरिए विवादित आराजी का बंटवाड़ा हुआ था और उक्त बंटवाड़ा के आधार पर ही विवादित

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आराजी की तरमीम कायम हुए थी। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्री को गुमराह करते हुए हस्तगत आवेदन पेश किया गया है,जो आवेदन पत्र चलने योग्य है। विप्रार्थीगण का वक्त खरीद से आदिनां मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वक्त खरीद के समय खसरान तरमीम शुदा था। विप्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि के चारो तरफ तारबंदी की गई है,मौके पर कोई विवाद नहीं है। केवलमात्र विप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से आवेदन पेश किया गया है। प्रार्थीगण का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। मौका फर्द दिनांक 06.7.2023 के अनुसार वर्तमान लटढा नक्शा अनुसार खसरा संख्या 701/83,702/83,703/83 व 704/83 की तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ट ब अनुसार है। नक्शा में दर्ज तरमीम नामान्तकरण संख्या 387 जरिए बंटवाड़ा मुकदमा संख्या 71/1977 निर्णय दिनांक 25.11.1982 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा पारित के आधार पर हुआ था तथा उसी अनुसार आदिनांक लटढा नक्शा में है तथा खसरा संख्या 701/83,702/83,703/83 व 704/83 की तरमीम अनुसार ही मौके पर कब्जा है। इस प्रकार यह भली भांति साबित हो चुका है कि विवादित आराजी की तरमीम न्यायालय हाजा द्वारा पारित बंटवाड़ा प्रकरण में निर्णय दिनांक 25.11.1982 के आधार पर हो रखी है। इस प्रकार यह प्रकरण तरमीम दुरूस्ती का बनता नही है,क्योकि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दौराने रेकर्ड संधारण में कोई त्रुटि हुई है,तो दुरूस्ती की जा सकती है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई मामला नहीं बनता है,क्योंकि विवादित आराजी की तरमीम बंटवाड़ा के आधार पर हुई है,इस प्रकार प्रार्थीगण का हस्तगत प्रकरण चलने योग्य नहीं है। यदि प्रार्थीगण को मूल बंटवाड़ा आदेश पर कोई आपति है,तो इसके लिए प्रार्थीगण पृथक से कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगे। लेकिन हस्तगत प्रकरण में कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण प्रकरण खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24/03/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
24/3/2025